प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्र.741/2004

एकल पीठ: माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायमूर्ति

नवीन कुमार सिंह

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्री शैलेन्द्र दुबे, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

श्री यू.के.एस. चंदेल, राज्य के लिए पैनल अधिवक्ता।

निर्णय

(दिनांक 17 फरवरी 2006 को पारित)

यह अपील श्रीमती अनुराधा खरे, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. अधिनियम), बिलासपुर द्वारा दिनाँक 31.08.2004 को विशेष प्रकरण क्रमांक 10/2004 में पारित निर्णय के विरूद्ध निर्दिष्ट है, जिसके तहत अपीलार्थी को स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 20(ख)(ii)(ग) के अधीन दोषीसिद्ध किया गया था व उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹1 लाख के अर्थदण्ड से दण्डादिष्ट किया गया तथा अर्थदण्ड व्यतिक्रम की स्थिति में, 1 वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डादिष्ट किया गया था।

2. संक्षेप में अभियोजन का मामला यह है कि दिनांक 01.02.2004 को गांजा के अवैध कब्जे की गुप्त सूचना प्राप्त होने पर, सहायक उप–निरीक्षक डी.आर. यादव (असा–3) ने सूचना प्रदर्श पी–1 को अभिलेखित किया और उसकी प्रति अपने वरिष्ठ अधिकारी को भेजने के पश्चात् पुलिस दल और दो स्वतंत्र गवाहों जयपाल सिंह (असा– 1) और अशोक कुमार (जिन्हें अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया) के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हुए। बुद्वाहन चौक, बालौदा पहुँचने पर, उन्होंने अपीलार्थी को एक नीले रंग का थैला और एक जलरोधी प्लास्टिक थैला लिए हुए पाया। अधिनियम की धारा–50 के तहत सूचना देने के पश्चात् और ए.एस.आई. डी.आर. यादव (असा–3) द्वारा अपीलार्थी से तलाशी की सहमति अभिलिखित करने के उपरांत, दोनों थैलों की तलाशी ली गई। यह पाया गया कि उनमें गांजा जैसी वस्तु है। तौल पंचनामा कुंजबिहारी देवांगन (जिनका परीक्षण अभियोजन द्वारा नहीं कराया गया) द्वारा तैयार किया गया था, जो कि प्रदर्श पी–6 में दर्ज है तथा यह पाया गया कि दोनों थैलों में गांजा का कुल वजन 20 किलोग्राम था। प्रदर्श पी–6 में यह उल्लेख नहीं किया गया कि प्रत्येक थैले की सामग्री का अलग–अलग वजन क्या था। प्रत्येक थैले से 25 ग्राम के दो नमूने लिए गए और सील किए गए। दोनों थैले भी सील किए गए। नीले रंग का थैला 'A' के रूप में चिह्नित किया गया और उससे लिए गए नमूनों को 'A–1' और 'A–2' के रूप में चिह्नित किया गया। जलरोधी प्लास्टिक थैला 'B' के रूप में चिह्नित किया गया और उससे लिए गए नमूनों को 'B–1' और 'B–2' के रूप में चिह्नित किया गया। ए.एस.आई. डी.आर. यादव(असा–3) ने जब्ती पत्रक प्रदर्श पी–7 पर

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

मुद्रा का नमूना छाप लगाया, जिसमें यह अंकित था: **"छ.प्र.पु.बिलासपुर"** तथा उसके ऊपर कोई ऐसी छाप थी, जो अस्पष्ट है व पठनीय नहीं है, इसके पश्चात् **"अकलतरा"** लिखा गया। ए.एस.आई. डी.आर.यादव(असा–3) ने दोनों थैलों व दोनों नमूनों को दिनांक 1.2.2004 को जे.एल. लकड़ा, थाना प्रभारी, थाना अकलतरा को सौंप दिया, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं किया कि थाना प्रभारी दोनों सीलबंद थैलों और नमूनों पर अपनी मुद्रा लगाए है कि नहीं। प्रधान आरक्षक बुधराम बघेल (जिनका परीक्षण अभियोजन द्वारा नहीं कराया गया) से पावती प्रदर्श पी–19 ली गई। दिनांक 3.2.2004 को प्रदर्श पी–16 के पत्रक द्वारा पुलिस अधीक्षक, जांजगीर–चांपा ने प्रदर्श पी–16 के पत्रक द्वारा A–1 और B–1 के रूप में चिह्वित नमूनों को आरक्षक शंकरलाल (जिनका परीक्षण अभियोजन द्वारा नहीं कराया गया) के माध्यम से विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया, जो दिनांक 4.2.2004 को प्राप्त हुआ। विभिन्न परीक्षणों के पश्चात् दिनांक 10.03.2004 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा यह राय दिया गया कि दोनों नमूनों A–1 और B–1 में गांजा था। चूंकि अपीलार्थी से कथित रूप से जब्त की गई मात्रा वाणिज्यिक मात्रा थी, धारा– 20(ख)(ii)(ग) के तहत अपीलार्थी के विरूद्ध अभियोजन आरंभ किया गया था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. अपीलार्थी ने अपराध स्वीकार नहीं किया, निर्दोष होने का अभिवाक् किया और बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया । अभियोजन पक्ष ने स्वतंत्र गवाह जयपाल सिंह (असा–1), पटवारी शेख गूजर (असा–2) जिन्होंने घटनास्थल का नक्शा तैयार किया था, ए.एस.आई. डी.आर.यादव (असा–3) और एस.एच.ओ. जे.एल.लाकड़ा (असा–4) की परीक्षण करवाया और विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट प्रदर्श पी–18 को साबित किया। विचारण न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर भरोसा करते हुए अपीलार्थी को दोषसिद्ध निर्णीत कर तथा पूर्वोक्त कंण्डिका 1 के अनुसार दण्डादेश दिया।

4. श्री शैलेंद्र दुबे, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि अधिनियम की धारा–55 का पूर्ण अनुपालन न होने से अभियोजन दूषित हो जाता है क्योंकि अभियोजन पक्ष ने यह दिखाने के लिए कोई

साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि पुलिस थाना अकलतरा के थाना प्रभारी ने चार सीलबंद नमूना पैकेटों व दो सीलबंद थैलों पर अपनी मुद्रा लगाई थी तथा यह कि ये वस्तुएं पुलिस थाना अकलतरा के मालखाना में रखी गई थीं। पुलिस थाना अकलतरा का मालखाना रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं किया गया व साबित नहीं किया गया। संपत्ति अर्थात दो सीलबंद थैलों व शेष दो सीलबंद नमूने अर्थात 'ए–2 और बी–2' को मुद्राओं की तुलना विचारण न्यायालय द्वारा किए जाने हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया था। नमूने को विश्लेषण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला ले जाने वाले आरक्षक का परीक्षण भी नहीं किया गया। उन्होंने आगे बताया कि जब्ती पत्रक प्रदर्श पी–7 पर मुद्रा का नमूना छाप, विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट प्रदर्श पी–18 पर खींचे गए छाप से मेल नहीं खाता था। इस प्रकार यह स्पष्ट था कि जिस पदार्थ को विश्लेषण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था, वह वही पदार्थ नहीं था जिसे अपीलार्थी से जब्त किया गया बताया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य यह साबित नहीं करते कि अपीलार्थी गांजा के भानपूर्ण कब्जे में था जिसे उससे जब्त किया गया बताया गया था क्योंकि जयपाल सिंह (असा–1) ने अपनी प्रतिपरीक्षा के कंडिका 3 में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि अपीलार्थी को कुंजबिहारी के एक होटल में मेज पर बैठे देखा था, एक बैग मेज पर रखा था और दूसरा बैग मेज के नीचे रखा था। चूंकि यह दिखाने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया कि आरोपी–अपीलार्थी को उन दो थैलों को धारण किए हुए देखा गया था, इसलिए यह साबित नहीं होता कि अपीलार्थी से जब्त किया गया कथित पदार्थ उसके भावपूर्ण कब्जे में था। दूसरी ओर, राज्य के पैनल अधिवक्ता श्री यू.के.एस. चंदेल ने आक्षेपित निर्णय के समर्थन में तर्क दिया, हालांकि जब्ती पत्रक प्रदर्श पी–7 पर मुद्रा के नमूना छाप और रिपोर्ट प्रदर्श पी–18 पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा खींची गई मुद्रा की छाप की तुलना करने पर, वह इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि दोनों छापें बिल्कुल अलग थीं।

5. प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार करने के पश्चात्, मैंने विशेष प्रकरण क्र.10/2004 के अभिलेख का अवलोकन किया है। अधिनियम की धारा 20(ख)(ii)(ग) के अंतर्गत अपराध में कठोर दण्ड का प्रावधान है

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु 20 वर्ष तक हो सकता है तथा इसमें अर्थदण्ड भी सम्मिलित है जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा, किंतु दो लाख रुपये तक हो सकता है। इसलिए ,न्यायालय का यह पवित्र कर्तव्य है कि ऐसे अपराधों के विचारण करते हुए वह यंत्रवत् दोषसिद्धि अभिलेखित करने के बजाय, अपना न्यायिक मस्तिष्क इस तथ्य की बारीकी से जांच करने में लगाए कि क्या अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों का अनुपालन किया गया है और क्या ऐसी कोई संभावना थी कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा परीक्षित पदार्थ के साथ छेड़छाड़ की गई हो। खेद की बात है कि विद्वान विचारण न्यायाधीश अपने कर्तव्य में विफल रहीं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. विशेष प्रकरण क्र. 10/2004 के अभिलेख स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि संपूर्ण विचारण के दौरान किसी भी समय दोनों सीलबंद थैले या नमूने 'ए–2 और बी–2' न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए ताकि विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रदर्श पी–18 की रिपोर्ट और जब्ती पत्रक प्रदर्श पी–7 पर वर्णित मुद्राओं की तुलना करने में सुविधा हो। कंडिका–6 में ए.एस.आई. डी.आर.यादव की साक्ष्य से पता चलता है कि उन्होंने श्री जे.एल.लकड़ा(असा–4) को उपरोक्त दो सीलबंद थैले और चार सीलबंद नमूने सौंपने के बाद उनसे कोई पावती प्राप्त करना आवश्यक नहीं समझा। थाना प्रभारी अधिकारी जे.एल.लकड़ा (असा–4) ने कंडिका–6 में साक्ष्य दिया था कि अभियोजन पक्ष ने इसप्रकरणमें मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रस्तुत नहीं की थी।

7. जब्ती पत्रक प्रदर्श पी–7 से दर्शित होता है कि ए.एस.आई. डी.आर.यादव (असा–3) द्वारा मुद्रा की एक नमूना छाप उस पर चिपकाई गई थी। जब्ती पत्रक प्रदर्श पी–7 से दर्शाता है कि उस पर **"छ0प्र0पु0 बिलासपुर"** की छाप थी व उसके ऊपर कुछ ऐसी छाप थी, जो पठनीय नहीं है तथा उसके बाद **"अकलतरा"** लिखा हुआ था। विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा नमूनों 'ए–1 व बी–1' पर मिली मुद्रा की छाप का विवरण रिपोर्ट प्रदर्श पी–18 में दिया गया है। यह दर्शाता है कि मुद्रा पर केवल **"ओ.पी. बलौदा था.**

अकलतरा " शब्द ही थे। वास्तव में, मुद्रा के नमूने की छाप की एक प्रति पुलिस अधीक्षक, जांजगीर द्वारा प्रदर्श पी–16 के पत्रक के साथ विधि विज्ञान प्रयोगशाला को मुद्राओं की तुलना के लिए भेजी जानी चाहिए थी। यदि ऐसा किया गया होता, तो विधि विज्ञान प्रयोगशाला ने एक बार ध्अर्थात तो दिया होता कि विश्लेषण के लिए भेजे गए नमूनों पर लगी मुद्राएं बिल्कुल अलग थीं। विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी–18 पर बनाई गई मुद्रा की छाप से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि अपीलार्थी से जब्त पदार्थ के साथ छेड़छाड़ की गई थी, क्योंकि जब्ती पत्रक प्रदर्श पी–7 पर मुद्रा की नमूना छाप और विश्लेषण के लिए प्राप्त नमूनों पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी–18 पर बनाई गई मुद्रा की नमूना छाप बिल्कुल अलग हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8. अधिनियम की धारा 55 इस प्रकार है:

> **"55. पुलिस द्वारा अभिगृहीत और परिदत्त वस्तुओं को अपने कब्जे में लेना.– किसी पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी ऐसी सभी वस्तुओं का , जो उस पुलिस थाने के स्थानीय क्षेत्र के भीतर इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत की जाए और जो उसे परिदत्त की जाए, मजिस्ट्रेट के आदेशों के लम्बित रहने के दौरान अपने भारसाधन में लेगा तथा उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा, तथा किसी भी ऐसे अधिकारी को, जो ऐसी सभी वस्तुओं के साथ पुलिस थाने तक जाए या जो उस प्रयोजन के लिए तैनात किया जाए, ऐसी वस्तुओं पर अपनी मुद्रा लगाने के लिए या उनके या उनमें से नमूने लेने की अनुज्ञात करेगा तथा इस प्रकार लिए गए सभी नमूने भी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की मुद्रा से भी मुद्रांकित किए जाएंगे।''**

उपर्युक्त प्रावधान को सरलता से पढ़ने पर पता चलता है कि, यह सुनिश्चित करता है कि, संबंधित अधिकारी द्वारा जब्ती के दौरान तैयार और सील किए गए नमूनों के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। इसलिए, धारा–55 में यह प्रावधान किया गया है कि थाने का भारसाधक अधिकारी ऐसी वस्तुओं पर या ऐसे नमूनों पर अपनी मुद्रा भी लगाएगा जो ऐसी वस्तुओं को मालखाने में रखने से पहले लिए गए हों। इसप्रकरणमें अधिनियम की धारा–55 का पूर्णतः गैर–अनुपालन हुआ है। मालखाना रजिस्टर की प्रति भी न्यायालय में मूल रजिस्टर प्रस्तुत करके सिद्ध नहीं की गई। इतना ही नहीं, जब्त की गई संपत्ति भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. ***<u>जितेन्द्र एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य</u>*** **में 2003 में सुप्रीम अपील रिपोर्टर(क्रिमीनल) 902** में प्रकाशित प्रकरण में कहा गया कि कथित रूप से आरोपी के कब्जे से जब्त किए गए चरस और गांजा को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया ताकि इसे विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजे गए नमूनों से जोड़ा जा सके। न तो *मालखाना मोहर्रिर* से विचारण के दौरान परीक्षण किया गया ताकि यह साबित किया जा सके कि जिन पैकेटों में नमूने सील किए गए थे, वे उनके प्राप्ति के समय से लेकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला को भेजे जाने के समय तक *मालखाना* में ही थे और न ही विचारण के दौरान प्रस्तुत भौतिक वस्तुओं से किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर अधिनियम की धारा–20 (ख) के तहत दोषसिद्धि को रद्द करते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की:

> **"हमारे विचार में, उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अभियोजन पक्ष के लिए यह आवश्यक था कि वह तर्कपूर्ण साक्ष्यों के आधार पर यह स्थापित करे कि आरोपी के कब्जे से चरस और गांजा की कथित मात्रा जब्त की गई थी। सर्वोत्तम साक्ष्य वे**

ज़ब्त की गई वस्तुएं होतीं, जिन्हें विचारण के दौरान प्रस्तुत किया जाना चाहिए था व सामग्री वस्तुओं के रूप में चिह्नित जब्त किया जाना चाहिए था। उन्हें प्रस्तुत करने में असफल रहने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उनकी विशेषताओं के बारे में मौखिक साक्ष्य और पंचनामा प्रस्तुत करने मात्र से अभियोजन पक्ष सबूत के भार से उन्मोचित नहीं हो सकता, विशिष्टतः तब जब अपराध एनडीपीएस अधिनियम के अधीन कठोर दण्ड से दंडनीय हो।"

"इस पृष्ठभूमि में, यह कहना कि पंच गवाहों के पक्षद्रोही हो जाने, विवेचना अधिकारी का परीक्षण न करने और जब्त किए गए पदार्थों को प्रस्तुत न करने के पश्चात् भी, एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषसिद्धि को यथावत् रखा जा सकता है, बहुत बेतुकी बात है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

राजस्थान राज्य बनाम गुरमेल सिंह I (2005) करेंट क्रिमिनल रिपोर्टस 228 (एससी) में प्रकाशित , प्रकरण में मालखाना रजिस्टर को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था, ताकि यह प्रमाणित किया जा सके कि जब्त किए गए मादक पदार्थ मालखाने में तब तक रखे गए थे जब तक कि उन्हें आबकारी प्रयोगशाला में नहीं भेजा गया था और जहां नमूना बोतलों पर दिखाई देने वाली मुद्रा के साथ तुलना करने के लिए आबकारी प्रयोगशाला को भेजे गए नमूने के साथ मुद्रा का कोई नमूना नहीं भेजा गया

था, उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के निर्णय की पुष्टि करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह प्रमाणित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था कि नमूनों पर पाई गई मुद्राएं यथार्थ में वही मुद्राएं थीं जो प्रतिबंधित पदार्थ की जब्ती के तुरंत बाद नमूना बोतलों पर लगाई गई थीं।''

10. अधिनियम की धारा 20(ख)(ii)(ग) के तहत गांजा रखने के लिए दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए अभियोजन पक्ष को संदेह से परे यह भी साबित करना होगा कि गांजा अपीलार्थी के भावपूर्ण कब्ज़े में था। इस संबंध में स्वतंत्र गवाह जयपाल सिंह का साक्ष्य ए.एस.आई. डी.आर.यादव (अ.सा.-3) के साक्ष्य से भिन्न है। जहाँ ए.एस.आई. डी.आर.यादव(अ.सा.-3) ने कंडिका 3 में कहा है कि उन्होंने अपीलार्थी को होटल के पास दो बैग लेकर खड़े देखा था, जयपाल सिंह (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 3 में कथन किया कि मौके पर पहुंचने पर उसने देखा कि अपीलार्थी बिहारी के होटल में बैठा था और एक बैग उसके सामने टेबल पर रखा था और दूसरा बैग नीचे रखा था। होटल में एक या दो अन्य व्यक्ति भी बैठे थे और नाश्ता कर रहे थे। अपीलार्थी द्वारा दो बैगों को भानपूर्ण रूप से अपने कब्ज़े के निर्धारण हेतु यह तथ्य स्वयं में पर्याप्त नहीं है। स्वतंत्र गवाह अशोक कुमार का अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षण नहीं कराया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी.-13 में न तो यह दर्शाया गया है कि अपीलार्थी दो बैगों के साथ खड़ा देखा गया था और न ही यह दर्शाया गया है कि अपीलार्थी होटल में बैठा था जबकि दोनों बैग पूर्व में दर्शाए अनुसार रखे गए थे। ए.एस.आई. डी.आर. यादव (अ.सा.-3) के प्रतिपरिक्षण में, अभियुक्त द्वारा एक विशिष्ट बचाव लिया गया था कि कुंजबिहारी के होटल में पड़ा गांजा जैसा पदार्थ जब्त कर लिया गया था और उसके नाम से एक झूठा जब्ती पत्रक तैयार किया गया था। कंडिका 3 में जयपाल सिंह (अ.सा.-1) की गवाही पर विचार करते हुए, इस संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

11. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर समग्रता से विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित बिन्दु उद्भुत होते हैं:

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(i) अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में दो सीलबंद थैले तथा सीलबंद नमूने 'ए–2 एवं बी–2' प्रस्तुत नहीं किए;

(ii) जब्ती पत्रक प्रदर्श पी.7 पर मुद्रा का नमूना छाप तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रदर्श पी.18 की रिपोर्ट पर बनाई गई मुद्रा के छाप से मेल नहीं खाता;

(iii) अधिनियम की धारा–55 के आज्ञापक प्रावधान का पूर्णतया पालन नहीं किया गया; तथा

(iv) नमूनों तथा दो थैलों को मुद्राबंद करने के लिए प्रयुक्त मुद्रा का नमूना छाप विधि विज्ञान प्रयोगशाला को तुलना के लिए नहीं भेजा गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(v) पुलिस थाना अकलतरा का मालखाना रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह पता चले कि जब्त नमूने तथा सीलबंद थैले पुलिस थाना अकलतरा के मालखाने में रखे गए थे।

(vi) अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह संदेह से परे सिद्ध नहीं हुआ कि जब्त किया गया पदार्थ अपीलार्थी के भावपूर्ण कब्जे में था।

12. उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, मेरा विचार है कि अधिनियम की धारा 20(ख)(ii)(ग) के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि और उसके तहत दिए गए दण्ड को अपास्त किया जाने योग्य है।

13. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। अधिनियम की धारा 20(ख)(ii)(ग) के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि और उसके तहत दिए गए दण्ड को अपास्त किया जाता है। यदि किसी अन्य

प्रकरण में उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अपीलार्थी को तत्काल रिहा कर दिया जाए। यदि जुर्माना अदा किया गया है, तो उसे अपीलार्थी को वापस कर दिया जाए।

हस्ताक्षर/–

दिलीप रावसाहेब देशमुख

न्यायाधीश

17.02.2006

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालअर्थात एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्अर्थात्वअर्थात तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By - Adv Neeta Verma